रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम० 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 30 मई, 1989/9 ज्येष्ठ, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 17 अप्रैल, 1989

संख्या एफ०डी०एस०ए०(3)-2/86-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का 54) की धारा 72 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सरकार के परामर्श के पश्चात् सरकार की तारीख 7 जुलाई, 1988 की समसंख्यांक अधिसूचना में, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में तारीख 13 अगस्त, 1988 को यथाप्रकाशित हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (4) के अधीन यथाअपेक्षित के लिए, जिनकी इससे प्रभावित होने की सम्भावना है राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नियमों में कथित संशोधन पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से छः सप्ताह की अवधि के अवसान पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

कोई हित-बद्ध व्यक्ति जो प्रस्तावित संशोधन के बारे में कोई आक्षेप करना चाहे या सुझाव देना चाहे तो वह ऐसे आक्षेप या सुझाव इस प्रारूप संशोधन नियमों के हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख छः सप्ताह के अवधि के भीतर आयुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को भेज सकेगा।

हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 1988

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1988 के नियम 17 के उप-नियम (3) के अन्त में आए चिन्ह "." के लिए चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

> "परन्तु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा यदि पुनः सत्यापन और स्टाम्पन में विलम्ब ऐसे प्रशासनिक कारणों से हुआ है जो विभाग के नियन्त्रण से बाहर है, जिसकी माफी देने के लिए निरीक्षक को, नियन्त्रक का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा।"

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्धू,
आयुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति)।

[*Authoritative English text of the Government Notification No. FDS. A (3)-2/86-II, dated the 17th April, 1989 is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the constitution of India.*]

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 17*th April*, 1989

No. FDS.A(3)-2/86-II.—In exercise of the powers conferred by section 72 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985, the Governor, Himachal Pradesh after consultation of the Central Government, proposes to make the following amendments in the Himachal Pradesh Standards weights and Measures (Enforcement) Rules, 1988, issued *vide* Government Notification of even number, dated the 7th July, 1988, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) dated the 30th August, 1988 and same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under sub-section(4) of section 72 of the said Act, for the information of all persons likely to affected thereby and notice hereby given that said amendment in the rules will be taken into consideration by the State Government after the expiry of a period of six weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Any interested person, who has to make any objection/suggestion(s) regarding the proposed amendment may send the same to the Commissioner-*cum*-Secretary (F & S) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within the period of six weeks from the date of publication of the draft-amendment rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

The Himachal Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) (Amendment) Rules, 1988.

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Standards of weights and Measures (Enforcement) (Amendment) Rules, 198[illegible].

(2) These shall come into force at once.

2. *Amendment of Rule* 17.—For the sign "." occurring the end of sub-rule (3) of Rule 18 of Himachal Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1988 the sign ":" shall be substituted and thereof after the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no additional fee shall be charged if the delay in re-verification and stamping is due to the administrative reasons beyond the control of the department for which inspector shall have to seek the approval of the Controller to condone the period of such delay.".

By order,
S. S. SIDHU,
Commissioner-cum-Secretary (F & S),
to the Government of Himachal Pradesh.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 17 अप्रैल, 1989

विषय:—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के अधीन श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, अपर बैहली को कारण बताओ नोटिस।

संख्या पी0सी0 एन0-मंडी-ए (5) 18/89.—यह कि श्री जुगनू सुपुत्र श्री भूक गांव बैहली, डाकघर अपर बैहली, खण्ड विकास सुन्दरनगर ने एक प्रतिवेदन माननीय कल्याण मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार को श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत अपर बैहली के विरुद्ध दिया है जो दिनांक 10-4-89 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन में आरोप है कि मु0 11,000/- रुपये की राशि उक्त श्री जुगनू के पक्ष में इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी परन्तु उसे कोई भी राशि नहीं दी गई।

और यह कि उक्त श्री परस राम प्रधान ग्राम पंचायत अपर बैहली, विकास खण्ड सुन्दरनगर ने मु0 11,000/- रुपये की राशि को प्रतिवेदक श्री जुगनू को न देकर अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं किया बल्कि सरकारी धन का भी दुरुपयोग किया है।

और यह कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त श्री परस राम, प्रधान, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से न निभाने के फलस्वरूप अनाचार के दोषी हैं।

अतः मैं, डा0 ए0 आर0 बसु, उपायुक्त, मण्डी मण्डल मण्डी, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है, के अन्तर्गत श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, अपर बैहली को आदेश देता हूं कि वह कारण बतायें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

डा0 ए0 आर0 बसु,
उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी।

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।